

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 938/2010/सवाईमाधोपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

घट-तृतीय, सवाईमाधोपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स टेक्निकल एसोसियेट्स लिमिटेड

उत्तराखण्ड

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

श्री विवेक सिंघल

अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 16.11.2016

निर्णय


यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उडनदस्ता, सवाईमाधोपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 50/आरवैट/एनआरडी/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) एवं 76 (12) के अन्तर्गत शास्ति रु. 2,28,717/- व कररु. 30,496/- कुल रु. 2,59,213/- की मांग सृजित की है, को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.05.2009 को वाहन संख्या यू.ए.04बी-3270 को सवाईमाधोपुर में रोक कर चेक किये जाने उनमें ट्रांसफार्मर लदे होना पाया गया। उक्त वहनित माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा बिल्टी नं. 158 दनांक 12.05.2009, इनवाइस नम्बर 37 दिनांक 12.01.2009 व चालान नम्बर 37 दिनांक 12.05.2009 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि उक्त माल मैसर्स जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर द्वारा उत्तराखण्ड से खरीद कर राज्य के बाहर से आयात किया जा रहा है जो कर योग्य होने से उसके आयात के करने पर घोषणा पत्र वैट-47 दस्तावेजों के साथ होना चाहिए था, किन्तु उक्त चेकिंग माल के साथ घोषणा पत्र वैट-47 नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) व 76(12) के उल्लंघन किये जाने से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को अमान्य करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज से सम्बन्धित मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) एवं 76 (12) के अन्तर्गत शास्ति रु. 2,28,717/- व कररु. 30,496/- कुल रु. 2,59,213/- की मांग सृजित करके आदेश दिनांक 21.05.2009 पारित किया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी

द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अनुचित मानते हुए अपास्त कर दिया, जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश तथ्यों एवं विधिक के विरुद्ध है। उनका कथन है कि माल के गमनागमन के दौरान चेक रने पर वाहन चालक अथवा वाहन मालिक के पास माल से सम्बन्धित दस्तावेज होने चाहिए, हस्तगत प्रकरण में माल के गमनागमन के दौरान बिल्टी, इनवाइस माल के साथ पाये गये किन्तु घोषणा पत्र वैट-47 नहीं पाया गया है, जिससे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (12) व 76 (6) के अन्तर्गत कर एवं शास्ति का आरोपण किया गया है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपास्त किया है। प्रत्यर्थी द्वारा माल क्रय किये जाने का आदेश भी टैक्निकल एसोसियेट्स लिमिटेड, सितारगंज, उत्तराखण्ड को दिया गया था जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विक्रेता व्यवहारी है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग वाहन चालक/माल प्रभारी से घोषणा पत्र वैट-47 के सम्बन्ध में बार बार पूछने पर उसे बताया कि घोषणा पत्र वैट-47 उसके पास नहीं है तथा ना ही उसके सम्बन्ध में उसको कोई जानकारी है, जबकि जवाब में यह कथन किया गया है कि घोषणा पत्र वैट-47 वाहन चालक के पास था। उनका कथन है कि माल के गमनागमन के दौरान घोषणा पत्र वैट-47 नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज में प्रतिपादित मत के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने कार्यवाही करते हुए धारा 76 (6) एवं 76 (12) के अन्तर्गत शास्ति रु. 2,28,717/- व कररु. 30,496/- कुल रु. 2,59,213/- की मांग सृजित की है, जो पूर्णतया उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विवेचन करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित कर आरोपित कर एवं शास्ति को यथावत रखा है, जो विधि एवं न्याय संगत है। उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2009 को यथावत रखने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी उत्तराखण्ड में स्थित है और वहीं पर वह पंजीकृत है। उनका कथन है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (जिसे "आरआरवीपीएनएल" कहा जायेगा) के लिए संविदा के अन्तर्गत इस कार्य हेतु कम्पनी द्वारा जो माल क्रय किया



जाता है उसका निरीक्षण व जांच 'आरआरवीपीएनएल' के अधिकारियों द्वारा किया जात है। उनका कथन है कि इसी प्रकार के माल का परिवहन वक्त चेकिंग किया जा रहा

-3-अपील संख्या 938/2010/सवाईमाधोपुर

था। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त चेकिंग घोषणा पत्र वैट-47 नहीं होने के कारण कर एवं शास्ति का आरोपण किया है, जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि आरआरवीपीएनएल को सप्लाई किया जा रहा था जो स्वयं के कार्य हेतु प्रयुक्त होने के लिए था, इस कारण वैट-47 की आवश्यकता नहीं थी। उक्त कथन के समर्थन में उन्होंने कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2233/2007/कोटा सहायक वाणज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, कोटा बनाम मैसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड, कोटा में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2009 जो 23 टी यू डी 319 पर प्रकाशित है, को उद्धृत करते हुए बताया कि उक्त प्रकरणों के तथ्यों से हस्तगत प्रकरण के तथ्य पूर्णतया मेल खाते हैं, इसलिए हस्तगत अपील उक्त न्यायिक दृष्टान्त से आच्छादित होने से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा रेकॉर्ड का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यानुसार दिनांक 14.05.2009 को वाहन संख्या यू.ए. 04बी-3270 को सवाईमाधोपुर में रोक कर चेक किये जाने उनमें ट्रांसफार्मर लदे होना पाया गया। उक्त वहनित माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा बिल्टी नं. 158 दनांक 12.05.2009, इनवाइस नम्बर 37 दिनांक 12.01.2009 व चालान नम्बर 37 दिनांक 12.05.2009 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि उक्त माल मैसर्स जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर द्वारा उत्तराखण्ड से खरीद कर राज्य के बाहर से आयात किया जा रहा है जो कर योग्य होने से उसके आयात के करने पर घोषणा पत्र वैट-47 दस्तावेजों के साथ होना चाहिए था, किन्तु वक्त चेकिंग माल के साथ घोषणा पत्र वैट-47 नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) व 76(12) के उल्लंघन किये जाने से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को अमान्य करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज से सम्बन्धित मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) एवं 76 (12) के अन्तर्गत शास्ति रु. 2,28,717/- व कररु. 30,496/- कुल रु. 2,59,213/- की मांग सृजित करके आदेश दिनांक 21.05.2009 पारित किया है।


शास्ति पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वक्त जांच ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर बिल, बिल्टी मौजूद थे जिनमें सभी विवरण पूर्ण रूप से अंकित किया हुआ था। इसके अतिरिक्त रिकार्ड से यह भी स्पष्ट है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम के पत्र



क्रमांक 959 दिनांक 28.04.2009 के अनुसार माल सप्लाई (क्रय) करने हेतु प्रत्यर्थी को आदेश दिया गया था, और जो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा क्रय किया है। इसलिए नियम 53 के अन्तर्गत घोषणा पत्र वैट-47 नियमानुसार माल के साथ होना आवश्यक था। व्यवहारी की ओर से उद्धृत अपील संख्या 2233/2007/कोटा सहायक वाणज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, कोटा बनाम मैसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड, कोटा में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2009 जो 23 टी यू डी 319 पर प्रकाशित है, के प्रकरण में नोटिस के जवाब में घोषणा पत्र एस टी 18ए प्रस्तुत किया गया था, परन्तु हस्तगत प्रकरण में नोटिस की पालना में वैट-47 प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए उद्धृत निर्णय के तथ्य हस्तगत तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। प्रकरण के समग्र तथ्यों पर विचार करने के पश्चात स्पष्ट होता है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो अनुचित है। रेकार्ड से यह भी स्पष्ट होता है कि माल आरआरवीपीएनएल द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए क्रय किये जाने बाबत कोई उपायोग प्रमाण पत्र नहीं दिया है, इसलिए भी वक्त जांच माल के साथ घोषणा पत्र वैट-47 होना आवश्यकता था, जिसके न होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए शास्ति आरोपित की है, जो पूर्णतः उचित है।

फलतः कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।


(सुनील शर्मा)
सदस्य